(1)

कार्यालय, अस्पताल अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय, बिलासपुर, छ0ग0

सेंदरी–लोफंदी–कछार मार्ग, ग्राम– सेंदरी, पिन–495009
Email- smhsbsp.cg@gmail.com

क्रमांक/स्था/2025/828 बिलासपुर,दिनांकः– 11/04/2025

//चतुर्थ श्रेणी भर्ती हेतु विज्ञापन//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ0ग0 शासन चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) नियम 19 फरवरी 2024 में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र/स्था.अवि/450/2024/1461 दिनॉक 17.12.2024 के द्वारा राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी, बिलासपुर, के चौकीदार एवं भृत्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अनुमति के उपरांत छ0ग0 के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनॉक 15.04.2025 से 29.04.2025 तक बंद लिफाफे में **(आवेदन केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें, कार्यालय में सीधे/सामान्य डाक स्वीकार नहीं किये जायेगें,)** सायं 5:30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमांत्रित किये जाते है।

विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु सेवा भर्ती नियमानुसार सेवा संवर्गवार विहित शैक्षणिक अर्हतायें योग्यता निम्नानुसार है –

क्र	पदनाम	वेतनमान /लेबल	श्रेणी	विहित शैक्षणिक अर्हतायें
1	भृत्य	4750–7440 ग्रेड वेतन 1300 लेवल (1)	चतुर्थ	मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा 8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
2	चौकीदार			

बिलासपुर संभाग के लिये लागू आरक्षण रोस्टर अनुसार पदवार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	भर्ती के रिक्त पद					
					संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू. सै	निःशक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भृत्य	4750–7440 ग्रेड वेतन 1300 लेवल (01)	चतुर्थ	05	अनारक्षित	03	00	00	00	03
					अजा	01	00	00	00	01
					अजजा	01	00	00	00	01
					अपिव	00	00	00	00	00
					योग :–	05	00	00	00	05
2	चौकीदार	4750–7440 ग्रेड वेतन 1300 लेवल (01)	चतुर्थ	01	अनारक्षित	00	00	00	00	00
					अजा	00	00	00	00	00
					अजजा	01	00	00	00	01
					अपिव	00	00	00	00	00
					योग :–	01	00	00	00	01

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञापित पदो के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि, जिला बिलासपुर के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

2

कार्यालय, अस्पताल अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय, बिलासपुर, छ0ग0

सेंदरी–लोफंदी–कछार मार्ग, ग्राम– सेंदरी, पिन–495009

Email- smhsbsp.cg@gmail.com

//विज्ञापन की शर्ते एवं नियम की विस्तृत जानकारी//

1– महत्वपूर्ण टीप –

1. दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है। अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या को घटाया एवं बढाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है एवं पात्र उम्मीदवारों नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा उपरोक्त पदों पर भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित किया जा सकता है।
2. विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, के एस.एल.पी (सी) क्र 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

2– शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं :–

मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से कक्षा 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

जिन आवेदकों को छ0ग0 शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना निचे दर्शाये अनुसार की जावेगी :–

क्र	ग्रेड	अंकित ग्रेड का निर्धारित अधिकतम प्रतिशत
1	A+	91 प्रतिशत
2	A	81 प्रतिशत
3	B+	71 प्रतिशत
4	B	61 प्रतिशत
5	C+	51 प्रतिशत
6	C	41 प्रतिशत
7	D	33 प्रतिशत

3– न्युनतम एवं अधिकत आयु सीमा :–

आवेदक की आयु दिनॉक 01.01.2025 को न्युनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में छुट संबंधी जारी आदेश/निर्देश, नियम, आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

4– आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्ते/निर्देश/जानंकारी

1. विज्ञापन के साथ नीचे दर्शाये गये प्रारूप में ही टंकित कराकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त दर्शित दोनो पदों (भृत्य एवं चौकीदार) में आवेदन करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग (पृथक–पृथक) आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग, तथा आवेदक का नाम, व पता, पिन कोड, मोबाईल नम्बर, स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।**

3. आवेदक को छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
5. केवल ऐसे निःशक्त आवेदक सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो। निःशक्तजन/दिव्यांग हेतु आरक्षित पद (क) अंध और निम्न दृष्टि, (ख) बधिर एवं श्रवणशक्ति में हास (ग) चलन निशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिक घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, अम्ल, आक्रमण पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ठ अधिगम, निशक्तता, और मानसिक अस्वस्थता। अतः इस श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार आवेदन करें। सक्षम प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को आवेदन के साथ सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को **अपने नियोक्ता का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जो स्वप्रमाणित हो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होगें।**
8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, व अन्य संलग्न समस्त दस्तावेज स्वंय के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाये।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में **"अस्पताल अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय, ग्राम-सेंदरी, जिला बिलासपुर, छ0ग0 पिन कोड-495009"** के पते पर **केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट** से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथो-हाथ आवेदन पत्र स्वीकार/मान्य नहीं किये जाएगें। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तो के अनुसार नहीं होगें उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें, ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
12. विज्ञप्ति जारी दिनॉक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चतुर्थ श्रेणी (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) सेवा भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश, अथवा नियम लागू होगें।
14. अभ्यार्थीयों द्वारा पदो के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा।
15. अजा, अजजा एवं अपिव हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जाएगा तथा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगे। इस संबंध में **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
16. पूर्व में किसी अभ्यार्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं होगें। उक्त संबंध में आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. पदों की संख्या में कमी/वृध्दि हो सकती है। विज्ञापन दिनॉक से आगामी 01 वर्ष तक किन्हीं भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी। उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसकी वैद्यता मूल चयन सूची जारी होने के दिनॉक से 01 वर्ष तक रहेगी।
18. यह नियुक्तियां छ0ग0 सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम 1961 से शासित होगी।
19. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छ0ग0 शासन समान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार प्रथमतः 03 वर्ष की परिविक्षा पर रखा जावेगा, एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें।
20. **आवेदनकर्ता विज्ञापन का विस्तृत विवरण, कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला बिलासपुर के कार्यालय कलेक्टर के वेबसाईट Bilaspur.gov.in पर देख सकते है।**

5– चयन की प्रक्रिया

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 के अनुसार प्रावीण्यता सूची का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा,

1. शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास उत्तीर्ण के प्राप्त प्रतिशत के 85 प्रतिशत के बराबर अंक।
2. छ0ग0 शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत् आवेदकों के अनुभव के अधिकतम 15 अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष या अधिक वर्ष के लिये) अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद का होना चाहिये।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ0ग0 राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्ति एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने हेतु अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 06 माह की निरन्तर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जिसमें जिसमें जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्र एवं दिनॉक उल्लेखित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। स.क्र–(2+3) को जोड़कर, अर्थात अनुभव एवं कोविड–19 बोनस के अंक दोनो को मिलाकर अधिकतम 15 अंक से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा)

इस प्रकार कंडिका (1)+(2)+(3) को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जावेगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिए वरीयता सूची अनुशंसित करेगी।

(टीप :– अवर सचिव, छ0ग0 शासन एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र एफ 1–67/2021/सत्रह–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनॉक 07.12.2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ0ग0 राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्ति एवं एक वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है)

(जो कर्मचारी कोरोना के दौरान नियुक्ति एवं 06 माह तक लगातार सेवा दिया हो उन्हें 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थिति में नियुक्ति संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकत 15 अंक तक दिया जाना है। इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनो अनुभव के अंक नहीं दिया जाना है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के 85 अंक एवं अनुभव के 15 अंक अथवा 10 अंक दिया जाना है जो कुल 100 अंको से अधिक नहीं होना है)

6– अन्य महत्वपूर्ण शर्तें/निर्देश/जानकारी :–

1. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार वरीयता तय की जायेगी अर्थात जिस अभ्यार्थी की जन्म तिथि पहले होगी, उसके अनुसार वरीयता उच्च क्रम में रखा जावेगा।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
3. अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के नियमानुसार विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
4. आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार की प्रतिकुल टिप्पणी पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

5. भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियॉ नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला बिलासपुर के विभागीय वेबसाईट www.bilaspur.gov.in के माध्यम से दी जावेगी। इस संबंध में पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।
6. उपरोक्त पदों पर केवल ऑफ लाईन आवेदन मान्य/स्वीकार किये जायेगें, डाक से विलंब होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
7. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से स्व प्रमाणित कर संलग्न करते हुए आवेदन करें, आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जवाबदारी स्वंय अभ्यर्थी की होगी।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी । प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।
9. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्र/वेबसाईट में प्रकाशित होगी।
10. शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश इस भर्ती पर लागू होगे।
11. इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार अस्पताल अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी, बिलासपुर, का रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं अस्पताल अधीक्षक का निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

अस्पताल अधीक्षक
राज्य मानसिक चिकित्सालय, ग्राम–सेंदरी
जिला–बिलासपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/स्था/2025/ 829
बिलासपुर,दिनांकः– 11/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, छ0ग0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, बिलासपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी (एनएमएचपी) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
5. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, बिलासपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बिलासपुर, छ0ग0 की ओर विज्ञापन की एक प्रति जिले के वेबसाईड www.bilaspur.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

अस्पताल अधीक्षक
राज्य मानसिक चिकित्सालय, ग्राम– सेंदरी
जिला– बिलासपुर (छ0ग0)

6

"................................"के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित

प्रति,

अस्पताल अधीक्षक
राज्य मानसिक चिकित्सालय, ग्राम–सेंदरी,
सेंदरी–लोफंदी कछार मार्ग, जिला– बिलासपुर, छ0ग0 पिन–495009

विषय :– राज्य मानसिक चिकित्सालय, ग्राम–सेंदरी, जिला–बिलासपुर में रिक्त .... के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

दैनिक समाचार में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक .... में विज्ञापित पद का नाम .... के लिये मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी) :..
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी) :..
3. पिता/पति का नाम :..
4. जन्म तिथि (अंको में) :..
5. जन्म तिथि (शब्दो में) :..
6. दिनॉक 01.01.2025 को आयु :..
7. लिंग (पुरूष/महिला/तृतीय लिंग) :..
8. शैक्षणिक योग्यता :–

क0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07

9. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता : ....
....
....
10. स्थायी पता : ....
....
....
11. दूरभाष/मोबाईल नंबर : ....

12. जाति वर्ग अजा/अजजा/अपिव के सदस्य है ? यदि हां तो वर्ग लिखें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। : ....

13. क्या आवेदक छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है ? (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापति प्रति संलग्न करें) : ....

14. निःशक्त आवेदक निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) : ....

15. क्या आवेदक विवाहित है ? हॉ/नहीं : ....

16. यदि आवेदक शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्था में कार्यरत् हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल में संलग्न करें) : ....

17. क्या आवेदक कोविड–19 में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्था में कार्य किया है यदि हॉ तो कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। : ....

18. स्वंय के द्वारा सत्यापित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची : 1..............................
: 2..............................
: 3..............................
: 4..............................
: 5..............................

स्थान : ....

दिनॉक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पूर्ण पता ....

//घोषणा–पत्र//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूॅ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है, उसके बाद गलत या असत्य पाये जाने पर या अपात्रता का पता चलने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे ।

स्थान : ....

दिनॉक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर ....

नाम..............................

पूर्ण पता :–